

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

5

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत इजरायल अधिकारी मुकाम डोडाभीम व

इजलास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.S.D

उजवान

इकर (2) नाहरसिंह
वरी जाति गुजर निवासी
इनाड तहसील
डोडाभीम करौली

- 1 रत्नी पुत्रगवरी 2 गैसियाराम 3
कन्हैयापि चामसिंह 4 सरदार 5
हुकमसिंह 6 पदप्रसिंह पि नारायण
7 राभराज 8 काडू पि अमरसिंह
9 श्रीरा पुत्री अमरसिंह 10 शीशाबई
वेवा अमरसिंह 11 कपसिंह पुत्र रक्थ्या
12 कपन्ती पालि चनासिंह 13 महाराजसिंह
14 अतरसिंह 15 सुवाहीसिंह पि श्रीमोहन

बनाम

मुकदमा नं० 59 सन् 2012

बत जो बगोरकोतदारी क ह्यार्थी
निष धाडा
यह मुकदमा आज वास्त इनफिसाल कतई सबई व हाजिरी

मिनकानिब गुदई सबस

ब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि
दावा वादी खारिज किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

का अदा करे।

मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 12 सन् 2015



मुहर

दस्ताख्त उप जिला कलक्टर
ओहदा डोडाभीम (करौली)

| रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|-------|------|----------------------|-------|------|
| | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| | | स्टाम्प अर्जी | | |
| | | महन्ताना वकील | | |
| | | खर्चा गवाहान | | |
| | | फीस कमिशनर | | |
| | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| | | मुतफरिक | | |
| | | | | |

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।